

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट टिब्बी )

1. अमरीक सिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
2. परविन्दसिंह पुत्र अंग्रेजसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी। -वादीगण  
बनाम
1. दलवीरसिंह पुत्र गुरनामसिंह जटसिख निवासी दियोनखेड़ा तह.मलोट जिला मुक्तसर पंजाब।
2. हरपाल कौर पत्नी बलजिन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जटसिख निवासी टिब्बी हाल दियोनखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
3. अमरीककौर पुत्री बलजिन्द्रसिंह पत्नी गुरजीतसिंह जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब।
4. सुखजीतकौर पुत्री बलजिन्द्रसिंह पत्नी गगनदीपसिंह जाति जट सिख निवासी बिरकखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर पंजाब।
5. बलजीतकौर पत्नी मनजीतसिंह पुत्र बलजिन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी हाल दियोनखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
6. रमनप्रीतकौर पुत्री मनजीतसिंह पुत्र बलजिन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी हाल दियोनखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।
7. सुखदीप कौर पुत्री मनजीतसिंह पुत्र बलजिन्द्रसिंह पुत्र गुरनामसिंह जाति जट सिख निवासी टिब्बी हाल दियोनखेड़ा तहसील मलोट जिला मुक्तसर।  
-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या:-3/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए

निर्णय दिनांक:-27.6.2018

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री महावीर प्रसाद वर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनू उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- चक नं. 8 जीजीआर के खाता संख्या 104/49 जमाबन्दी सम्जत् 2070-73 में कुल 2.442 है. में से 2.244 है. कृषि भूमि में से वादीगण 1/3 हिस्सा के बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं. 8 जीजीआर के खाता संख्या 104/49 में से गुरनामसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 दलवीरसिंह 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 बलजीतकौर का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 27.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत टिब्बी में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(उम्मेदसिंह रतनू)

पीठासीन अधिकारी,

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

वाद के खर्चे

वदी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	1000/-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0
जोड़			0